रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980/आश्विन 5, 1902

No 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980/ASVINA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1980

सा० का० नि० 973—केन्द्रीय सरकार, अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड न्यायपीठ कार्यालय (अभिलेख नाशकरण) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है।

(ख) "आवेदन" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जिसके द्वारा न्याय पीठ के समक्ष कोई अन्तर्वर्ती कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

(ग) "न्यायपीठ" से अधिनियम की धारा 10 ड की उपधारा (4 ख) के अधीन निर्मित कम्पनी विधि बोर्ड की ऐसी न्यायपीठ अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक सदस्य हैं।

(घ) "न्याय पीठाधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है,

(ङ) "कम्पनी" के वही अर्थ हैं जो उसके अधिनियम में हैं और उसमें धारा 591 के अर्थ के भीतर विदेशी कम्पनी भी है,

(च) "सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है,

(छ) "अर्जी" से ऐसी अर्जी अभिप्रेत है जिसके अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 (18क), 17, 18 (4), 19 (2), 79, 141 और 186 के अधीन न्यायपीठ के समक्ष फाइल की गई कोई कार्यवाही, जो अन्तर्वर्ती कार्यवाही नहीं है, प्रारम्भ की जाती है।

3 अभिलेखों का परिरक्षण —सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अभिलेख उसमें विनिर्दिष्ट विषय वस्तु के संबंध में सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए परिरक्षित किए जाएंगे।

सारणी

क्रम संख्या	विषय	परिरक्षण की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	धारा 2 के खण्ड (18क) के अधीन अर्जी	मामले के अन्तिम निपटारे के पश्चात् 5 वर्ष
2	धारा 17 के अधीन अर्जी	मामले के अन्तिम निपटारे के पश्चात् 5 वर्ष

Directorate-General of Mines Safety

Dhanbad, the 22nd August, 1980

G.S.R. 1014.—In pursuance of Clause (23) of Regulation 2 and Clause (d) of Regulation 173 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Chief Inspector of Mines hereby notifies the explosive specified in Column (1) of the Table below manufactured by the firm specified in Column (2) of the said Table to be permitted Explosive suitable for use in all gassy coal mines/seams of First Degree and further lays down the permissible maximum charge as specified in Column (3) of the said Table for the said permitted Explosive.

TABLE

Name of Explosive	Name of the Firm	Permissible maximum charge in any shothole.
(1	(2)	(3)
VIKING—G. (Composition GE-57)	The Indian Explosive Ltd., Post Box No. 9084, 34, Chowringhee, Calcutta-700071 (Place of manufacture—Gomia Factory).	800 Grams.

[No. 14(4)/75-Genl./11682]

B.M. BHAT, Chief Inspector of Mines.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 1015—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम और बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1980 है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 93 के उपनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

(ग) जब माल को हटाना आशयित हो तब उससे कम से कम 12 घंटे (या ऐसी अन्य अवधि जिसकी कलक्टर किसी विशिष्ट मामले में अपेक्षा करे या अनुज्ञात करे) निकासी के लिये समुचित प्ररूप में एक आवेदन कारखाने के भार-साधक अधिकारी को परिदत्त किया जायेगा ।"

[अधिसूचना सं० 139/80-के०उ०शु० फा०सं० 261/4/69 479-सी०एक्स०-8]

एस०डी० खरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th September, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1015.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (9th Amendment) Rules, 1980.

2. In the Central Excise Rules, 1944, for sub-rule (c) of rule 93, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(c) An application for clearance in the proper form shall be delivered to the Officer-in-charge of the factory at least 12 hours (or such other period as the Collector may in any particular case require or allow) before it is intended to remove the goods".

[Notification No. 139/80-CE. F. No. 261/4/69/79-CX 8]

S. D. KHARE, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1980

सा० का० नि० 1016.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन आकाशवाणी बम्बई में हिन्दी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम-आकाशवाणी, बम्बई (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे भारक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अर्हक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिन्दी अधिकारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित लिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिन्दी विषय सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिन्दी माध्यम और अंग्रेजी विषय सहित किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) हिन्दी शब्दावली कार्य और या अधिमानत: तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य के अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। या हिन्दी में अध्ययन/अनुसंधान संगठन का पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर चयन समिति की यह

1	2	3	4	5	6	7	8
							गया है कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित-अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हो सकेंगे । वांछनीय : (1) संस्कृत या किसी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान । (2) प्रशासनकि अनुभव । (3) टिप्पणी और मसौदा लेखन के लिए हिन्दी कक्षाओं/कर्मशालाओं के संगठन का अनुभव ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 550-900 रु०/ 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 3/8 वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित प्रकार की अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) . 1. डी०डी०जी० (ए) —अध्यक्ष 2 केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बम्बई—सदस्य 3. उपयुक्त स्तर का एक और अधिकारी—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से सबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी । किन्तु, यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा । इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

[सं० ए० 12018/1/78-बी (ए)-V]

आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 8th August, 1980

G.S.R. 1016.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer in the All India Radio, Bombay under the Ministry of Information and Broadcasting namely :—

1 *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the All India Radio, Bombay (Hindi Officer), Recruitment Rules, 1980.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Clasification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.

3 Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;

OR

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders issued by the Central Government from time in this regard.

Recruitment Rules for the Post of Hindi Officer, All India Radio, Bombay in Ministry of Information and Broadcasting

Sl No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required in the case of direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hindi Officer	One	Government Central Services Group 'B' Gazetted.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200-	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. Servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : As per details given in the Annexure.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of rectt., proposed direct rectt. or by Deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation from amongst officer working under the Central/State	Group 'B' DPC (for confirmation) comprising of :	Selection on each occasion shall be made in

1	10	11	12	13	14
			Governments and holding analogous posts or with 3/8 year's service in posts in the scale of Rs. 550-900/425-700 or equivalent respectively and possessing the qualifications and experience of the type prescribed for direct recruits under col. 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	1. Dy. Dir. Genl. (Admn)— Chairman. 2. Station Director AIR, Bombay— Member. 3. One more officer of appropriate status.— Member. Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the UPSC for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	consultation with the UPSC. Consultation with the UPSC is also necessary while amending/relaxing any of the provisions of these Rules.

ANNEXURE

(Please see Col. 8 of Schedule)

EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED IN THE CASE OF DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF HINDI OFFICER AT A. I. R. BOMBAY

ESSENTIAL

(i) Master's Degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level ;

OR

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level ;

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level ;

OR

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level.

(ii) At least 5 years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi and vice versa preferably of technical or scientific literature ;

OR

5 years' experience of teaching, research organisation in Hindi.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

(i) Knowledge of Sanskrit and/or a modern Indian language.

(ii) Administrative experience ;

(iii) Experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting.

[No. A-12019/1/78-B(A)]

R. D. JOSHI Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA